आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीखसहित

07/11/23

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-67/16-17

काशी उराँव, पिता स्व० सोमरा उराँव,
निवास ग्राम–बुकरू, थाना–काँके,
जिला–राँची .... प्रथम पक्ष।

बनाम

(1) इन्द्र देव वर्मा, (2) मोहन वर्मा, दोनों के पिता स्व॰ लालजी वर्मा, सभी निवास स्थान–कालीबाबु स्ट्रीट, महाबीर चौंक, अपर बाजार, थाना–कोतवाली, जिला–राँची। .... द्वितीय पक्ष गण।

आदेश

प्रथम पक्ष काशी उराँव, पिता स्व० सोमरा उराँव, निवास ग्राम–बुकरू, थाना–काँके, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष गण (1) इन्द्र देव वर्मा, (2) मोहन वर्मा, दोनों के पिता स्व॰ लालजी वर्मा, सभी निवास स्थान–कालीबाबु स्ट्रीट, महाबीर चौंक, अपर बाजार, थाना–कोतवाली, जिला राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं॰	खाता नं॰	प्लॉट नं॰	रकबा
बुकरू	54	33	87	34 डी॰
			88	34 डी॰
			157	67 डी॰
			358	90 डी॰

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर॰एस॰खतियान में लाधु उराँव वल्द चमरा उराँव कौम उराँव

कृ०पृ०उल्टे

07/11/23

साकिन देह टोला नावा टोला खेवट सं॰–2/7 जोधन राम तेवारी के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि उपरोक्त विवादित भूमि की आर॰एस॰खतियान में लाधु उराँव वल्द चमरा उराँव खेवट सं॰–2/7 जोधन राम तेवारी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत लाधो उराँव अपने पीछे एकमात्र पुत्र स्व॰ सोमरा उराँव को छोड गये हैं। स्व॰ सोमरा उराँव भी अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः–(1) स्व॰ लटलु उराँव (नवल्द) (2) स्व॰ अशोक उराँव (नवल्द) (3) काशी उराँव (आवेदक) को छोड गये। खतियानी रैयत की वंशज होने के नाते प्रथम पक्ष की हिस्से वो अधिकार की भूमि है। वर्णित भूमि को द्वितीय पक्ष जबरन दखलकार बन गये है। अतः जमीन को वापस किया जाय।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में तर्क दिया है कि उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी वो हिस्से की भूमि है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में आवेदक द्वारा समर्पित नोटरी पब्लिक, राँची द्वारा निर्गत शपथ–पत्र सं॰–1143 दिनांक–21.06.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्णित भूमि की भू–वापसी के लिए आवेदक काशी उराँव, पिता स्व॰ सोमरा उराँव ने यह वाद दायर नहीं किया गया है। मेरे स्थान पर किसी अन्य फर्जी आवेदन दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः आवेदक के पक्ष में न्याय किया जाय।

द्वितीय पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि आवेदक अज्ञानता के कारण विपक्षी गण(1) इन्द्र देव वर्मा (2) मोहन वर्मा, दोनो के पिता स्व॰ लालजी

कृ०पृ०उल्टे

7/11/23

वर्मा के नाम से यह वाद दायर किया गया है। इन्द्रदेव वर्मा का वास्तविक नाम इन्द्रनाथ वर्मा, पिता स्व॰ अनिरूद्ध राम वर्मा है। मोहन वर्मा नाम से कोई भी व्यक्ति इस वाद से संलग्न नहीं है। द्वितीय पक्ष इन्द्रनाथ वर्मा अपने लिखित ब्यान में कहा हैं कि विवादित भूमि रिविजनल सर्वे खतियान में लाधु उराँव पिता चमरा उराँव के नाम से कायमी दर्ज हैं। खतियानी रैयत लाधू उराँव अपने पीछे गोधो उराँव को छोड गये। गोधो उराँव उपरोक्त भूमि की मालगुजारी भूतपूर्व जमींदार को देने में असमर्थ रहने के कारण पुरे जमीन को नीलम बजरिये नीलामी सेल सर्टिफिकेट जिसका इजराई वाद नंबर 1791 है, जो सन् 1937–38 ई॰ को नीलामी किया गया। भूतपूर्व जमीनदार जोधन राम तिवारी द्वारा नीलाम पत्र से खरीदकर दखलकार हुए, तत्पश्चात जमीनदार ने दिनांक–09.01.1942 ई॰ को सलामी लेकर पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय, पिता पाण्डेय पाऱस नाथ राय के पक्ष में हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्त बनाकर दखल कब्जा दे दिया। पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय ने भी वर्णित भूमि खाता सं॰–33 की जमीन की कुल रकवा –04 एकड़ को बजरिये निबंधित विक्रय पत्र सं॰–5975 दिनांक–13.12.1945 ई॰ को लालजी राम वल्द गोपी राम को निबंधित बिक्री हस्तान्तरित कर दखलकार बना दिया। लालजी राम वर्णित भूमि को संबंधित अंचल कार्यालय से नामान्तरण कराकर सलाना मालगुजारी अपने नाम से भुगतान करते आ रहे है। लालजी राम अपने पीछे अपनी पत्नी मुनुवा देवी को एकमात्र वारिस के रूप में को छोड़कर स्वर्गवास कर गये है। मुनुवा देवी अपने जीवन काल तक वर्णित भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार रही, और अन्य पक्षों के नाम से बिक्री हस्तान्तरित भी की है। इनकी अपनी कोई संतान नहीं रहने के कारण लालजी राम के सगे भाई अनिरूद्ध वर्मा वल्द गोपी राम वर्णित भूमि में दखलकार बनाया। अनिरूद्ध वर्मा भी विवादित भूमि के साथ अन्य भूमि में जीवन काल तक शांति पूर्वक काबिज एवं दखलकार रहें। अनिरूद्ध वर्मा अपने पीछे विपक्षी इन्द्रनाथ वर्मा को छोड गये है। वर्त्तमान समय में विपक्षी इन्द्रनाथ वर्मा शांति पूर्वक दखलकार है, और बण्डा पर्चा भी विपक्षी इन्द्रनाथ वर्मा के नाम से निर्गत है। अतः वाद को खारिज किया जाय।

M.J 7.11.23

कृ॰पृ॰उल्टे

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में तर्क दिया है कि उपरोक्त भूमि से संबंधित भू–वापसी हेतू वाद सं०–75/1984 तथा 50/1984 सोमरा उराँव पिता गेधो उराँव बनाम मनुवा कुँवर पति लालजी राम वो अन्य के नाम भूमि वापसी के लिए वाद दाखिल किया गया था। तत्कालीन सहायक बन्दोबस्ती पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, भू–वापसी, काँके–1 से सुनवाई करते हुए, आवेदक सोमरा उराँव के आवेदन को अस्वीकृत किया है। जिस कारण 2023 JBCJ Vol-3 Page 302 झारखण्ड हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश एवं अन्य अन्य हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्तमान वाद Res-Judicata के सिद्धांत से बाधित है, तथा यह वाद लगभग 80 वर्षो के बाद लाया गया है। अतः 2023 JBCJ Vol-3 Page 302 झारखण्ड हाई कोर्ट, 2008 Vol-2 JCR Page-1 (Supreme Court) 2004(4), JCR Page-211, AIR 200 SC of 3 Page 2276, 2009(1) JCR page 193, 1994(1) PLJR page-91, 2005 (3) JCR Page-132 में पारित आदेश के आलोक में वर्तमान वाद काल बाधित है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश 1990(2) PLJR Page-517, 1988 PLJR NOC 53 & 1988 BLT PGE 172 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय द्वारा की गई नीलामी वाले जमीन पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम लागु नहीं होता है। अतः यह उक्त आधार पर चलने योग्य नहीं है। आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए विपक्षी को न्याय दिया जाय।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने तथा उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर इस वाद को आदेश पर रखा गया। उभय पक्ष के अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में लाधु उराँव वल्द चमरा उराँव खेवट सं०–2/7 जोधन राम तेवारी के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज में आते। आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वर्णित भूमि को भू–वापसी हेतु यह वाद दायर नहीं किया गया है। इस वाद में संलग्न आवेदन

कृ०पृ०उल्टे

में समर्पित वकालतनामा के आधार अधिवक्ता निरंजन प्रसाद को न्यायालय में बुलाया गया। अधिवक्ता निरंजन प्रसाद ने आवेदक की पहचान करते हुए कहा है कि वर्णित भूमि की भू–वापसी हेतु आवेदक द्वारा ही किया गया है, और आवेदक बराबर न्यायालय में उपस्थिति दर्ज किया है। विवादित भूमि को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा 1937–38 में नीलामी द्वारा खरीदकर जमीनदार ने दिनांक–09.01.1942 ई॰ को पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय के पक्ष में बंदोबस्त कर दखल कब्जा दे दिया। पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय भी वर्णित भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं॰–5975 दिनांक–13.12.1945 ई॰ को लालजी राम को बिक्री हस्तान्तरित कर दखलकार बना दिया। लालजी राम के सगे भाई अनिरूद्ध वर्मा वर्णित भूमि में शांति पूर्वक काबिज एवं दखलकार रहें। अनिरूद्ध वर्मा के पुत्र विपक्षी इन्द्रनाथ वर्मा वर्णित भूमि के खाता सं॰–33 के रकवा–2 एकड़ 25 डिसमिल जमीन वर्तमान में दखलकार है। आवेदक द्वारा लगभग 70 वर्षो के बाद यह वाद दायर किया गया है। जो समय सीमा से बाहर है। यह भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 लागु प्रभावित नहीं होती थी।

चूंकि प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1945 के बाद यह वाद दाखिल किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा लगभग 70 वर्षो के बाद भू–वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला–C.W.J.C.No.-695/1987(R) जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे०आर० पृ०–91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०–132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu &Ors-vrs-State of Jharkhand के आदेश दि॰–10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है–

कृ०पृ०उल्टे

"Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of-Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act- Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable." वर्तमान वाद में भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदक का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/11/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

4/11/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 14:54:38 +05:30
Location: 192.168.51.130